

17/4/26

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
वादी व प्रतिवादी प्रकरण से सम्बन्धित  
अपने साक्ष्य-सम्पुत न्यायालय में  
अनिर्णय रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा  
उक्त प्रकरण साक्ष्य के अभाव में  
इस तरह कार्यवाही कर रवाबीत किया  
जायेगा वैसे पत्रावली साक्ष्य दिनांक  
8/5/26 को पेश हो।



8/5/26

पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता  
अनुपस्थित, प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित  
वादी द्वारा प्रकरण में दिनांक 23/5/2024  
से 08/05/26 तक न्यायालय में साक्ष्य  
प्रस्तुत नहीं किसे, वादी अधिवक्ता को  
साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई बार भर्त्सना  
देने के उपरान्त भी प्रकरण में साक्ष्य  
प्रस्तुत नहीं किसे, एवं न्यायालय में  
अनुपस्थित पाये गये, न्यायालय द्वारा  
द्वारा न्यायालय समय में बार-बार उभयपक्ष  
को आवाजे देने के उपरान्त भी वादी -  
प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित  
पाये गये, इससे यह जासूस होता है  
की वादी अधिवक्ता को उक्त प्रकरण  
में कोई क्रिय नहीं है, वल्पी न्यायालय  
का समय बर्बाद किया जा रहा है,

अतः प्रकरण में उभयपक्ष की अनुपस्थिति  
एवं प्रकरण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने  
के अभाव में प्रकरण को इसी स्तर  
पर रवाबीत किया जा रहा है।

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

वनाम \_\_\_\_\_

मुकदमा \_\_\_\_\_

पत्रावली संख्या \_\_\_\_\_

सन \_\_\_\_\_

तारीख हुकम

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी

पत्रावली जँसल शुमार शेकर नम्बर  
से कम किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे  
सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)